न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 77/2023 बउनवानी विपिन बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पुत्र गुलाब चन्द मीना, नि0 28 प्रेम मंदिर कॉलोनी बजरिया,स0मा0
GCMS No-2023/161

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.10.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1. एन.एच. 148 एन अधिग्रहण करते समय ख0न0 59 ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर मे अमरूद्व के पौधो की मुआवजा राशि गुलाबचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 7/25 एवं रामजीलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 18/25 जाति मीना दोनो काश्तकार को कितनी कितनी मुआवजा राशि दी गयी है। पूर्ण विवरण प्रदान करे। 2. गुलाब चन्द पुत्र मूलचन्द मीना हिस्सा 7/25 एवं रामजीलाल पुत्र प्रहलाद हिस्सा 18/25 जाति मीना का ख0न0 59 मे दोनो काश्तकारो मे जिसको मुआवजा राशि दी गयी है उसका पूरा विवरण बताने की कृपा करे। 3. ख0न0 59 मे दोनो काश्तकारो मे से जिसको पौधो की राशि नही दी गयी है उसको पौधो की राशि प्राप्त करने के लिए क्या करना पडेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(3)(26)सूकाअ/2023/2936 दिनांक 11.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा जरिये पत्रांक 1505 दिनांक 20.10.2023 से बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना आवेदक स्वंय की नही होकर उनके पिता तथा अन्य काश्तकार की है इसलिए चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्ष की होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं तृतीय पक्ष की मानते हुए उपलब्ध नही करवायी गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट खातेदार गुलाब चन्द का पुत्र है इसलिए उक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner